

संख्या- 28-7-2011/37

न्यायालय असिओ क्लेओ प्रोप्रेटरी/उपजिलाधिकारी, बबेरू ।

10

वाद संख्या- 16 /2011

धारा-143 जमीन विनाश एवं भूमि व्यवस्था
मोजी- पिण्डारन परगना/तहसील बबेरू ।

लेखाल रिपोर्ट बनाम

स्वगया प्रसाद महाविद्यालय भाम्बुवा, प्रबंधक
रामकिशोर सिंह



निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित प्राप्ति पर अन्तर्गत धारा-143 उओ प्रो भूमि व्यवस्था एवं जमींदारी विनाश अधिनियम { नियम-135 } के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खतीनी खाता 1418 लगायत 1423 फओ के खाता संख्या-1079 के गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हेमाओ गुओ 3-60 हओ पर स्वओ गया प्रसाद महाविद्यालय, भाम्बुवा का भवन बाउड़ी व खेकूद के मैदान के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार स्तम्भा 6 व 7 में अंकित भूमि संख्या व क्षेत्रफल कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन, तथा कुक्कुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है। लेखाल व राजस्व निरीक्षक ने उओ प्रो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 135 पर इसकी आख्या दिनांक 16-7-2011 को प्रस्तुत की है। नियमानुसार वाद पंजीकृत करके मूल कार्यकार को सम्मन निर्गत कर तलब किया गया। रामकिशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निवासी ग्राम-भाम्बुवा ने अपनी भूमि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हेओ में स्वओ गया प्रसाद महाविद्यालय, भाम्बुवा की विल्डिंग बनी होने के कारण आबादी घोषित करने विषयक अपापत्ति प्रार्थना-पत्र देकर लेखाल की रिपोर्ट के आधार पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है।


पत्रावली पर उपलब्ध लेखाल व राजस्व निरीक्षक की आख्या में कहा गया है कि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हेओ में स्वओ गया प्रसाद महाविद्यालय, भाम्बुवा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमि पर दर्ज कागजात है, जिस पर विद्यालय बाउड़ी, भवन व खेकूद का मैदान बना है, जिस पर विद्यालय का बिज है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि बागवानी अथवा पशुपालन, मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन में नहीं आ रहे है। अपितु महाविद्यालय का आवासीय भवन निर्मित हो चुका है, जिसमें शिक्षण कार्य हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत भूमि संक्रमणीय भूमि की श्रेणी की है। इस प्र कारण इसके संबंध में उपर्युक्त दशयि गये क्षेत्रफल के विषय उओ प्रो जमीन विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेक के आलोक में ग्राम-पिण्डारन की भूमि गाटा संख्या-2156 क रकबा 0.418 हेओ माओ गुओ 3-60 हओ पर स्वओ गया प्रसाद महाविद्यालय भाम्बुवा, प्रबंधक राम किशोर सिंह पुत्र भागवत सिंह निओ भाम्बुवा का विद्यालय भवन आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखाल/ प्रो राजओ निरीक्षक की आख्या व नजरी नक्शा के अनुसार कृषि प्रयोजन से असंबद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु जिसका उल्लेख अमर किया जा चुका है, के लिए प्रख्यापित किये जाते है। तदनुसार संबंधित खाते के समक्ष इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना अमलदरामद निर्गत हो, और वर्तमान खतीनी के पश्चात निर्मित होने वाली खतीनी में भी संबंधित खाते के समक्ष इसका अमलदरामद होता रहे। नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति उपनिबंधक बबेरू को भोजी जाये, जिस वह सहायक निबंधित करके एक प्रति वापस करें। लेखाल व आख्या व नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। पत्रावली बाद अग्रेत्तर कार्यवाही संचित अभिलेखागार की जाये।

दिनांक 28-7-2011

असिओ क्लेओ प्रोप्रेटरी/उपजिलाधिकारी, बबेरू ।



P.T.O